

विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग की अधीक्षता में दिनांक 22.02.2012 को मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन योजनाओं की सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही उपस्थिति विवरणी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
पूर्व बैठक का अनुपालन।

1. कदवन बाँध अंचल, गढ़वा शिविर मेदिनीनगर

A. जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर

i) सोन नदी के ग्राम दंगवार एवं बुधवा के पास चल रहे दो अद्द कटाव निरोधक कार्य
क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि पूर्व बैठक में प्राप्त निर्देश के आलोक में इस कार्य हेतु बोल्डर प्राप्त करने का प्रयास किया गया पर यह संभव नहीं हो सका। अतः आवंटित राशि को प्रत्यापित कर दिया गया है।

ii) सोनरे सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य
क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि कार्य मार्च 2012 तक समाप्त हो जायेगा।

iii) मेदिनीनगर में 8 कमरे वाले निरीक्षण भवन का निर्माण

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि वर्तमान चालू कार्य मार्च 2012 तक पूरा हो जायेगा। निरीक्षण भवन का Furnishing कार्य अलग से कराया जाना है जिस हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह में दिया जायेगा तथा इस कार्य को अप्रैल 2012 तक पूरा करा लिया जायेगा।

iv) मलय मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य

चूंकि कार्य आवंटन नहीं हो सका है तथा मार्च 2012 तक अब कोई कार्य होने की संभावना नहीं है अतः इस हेतु आवंटित राशि को आवश्यकतानुसार प्रत्यापित कर दिया जाये।

(कार्वाई – मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर)

v) उत्तर कोयल जलाशय योजनान्तर्गत मोहम्मदगंज बराज के दाँयी मुख्य नहर से झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत निस्तृत 9 अद्द वितरणियों एवं दो उप वितरणियों का कार्य

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि

- i) परता माइनर के सी०डी० कार्य की निविदा एक सप्ताह में आमंत्रित कर दी जायेगी।
- ii) अन्य सभी वितरणियों में कार्य तेजी से चल रहा है।

निर्देश :—

सभी 9 अद्द वितरणियों एवं दो अद्द उपवितरणियों को आगामी खरीफ सिंचाई के पहले अनुसंधान प्रतिवेदन में स्वीकृत लंबाई तक पूरा करा लिय जाये।

(कार्वाई – कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता)

B. कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर ऊँटारी

i) डोमनीनाला बराज योजना

इस योजना का CWC के नये दिशा-निर्देशों (Guidelines for submission, Appraisal and clearance of Irrigation & Multipurpose Projects 2010) के अनुसार 8 set में DPR तैयार किया जाना है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बतलाया कि बराज के रूपांकण हेतु Bore hole chart तैयार करने हेतु drilling कार्य कराया गया है जिसके लिये निधि की आवश्यकता है। Fresh DPR तैयार करने के लिये भी राशि की आवश्यकता है। मोनिटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा जानकारी दी गयी कि इस कार्य हेतु सर्वेक्षण मद में राशि स्वीकृत करने की कार्वाई की गयी है।

निर्देश :— Core Drilling एवं DPR तैयार करने हेतु आवश्यक निधि का आवंटन कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर ऊँटारी को दिया जाये।

(कार्वाई – मुख्य अभियंता (मो०), जल संसाधन विभाग, राँची)

४३

योजना का CWC के नये गाइड लाइन्स के अनुसार DPR तीन माह में तैयार किया जाये एवं यह ध्यान रखा जाये कि DPR strictly वर्ष 2010 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया हुआ है।

(कार्वाई – कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता)

2. औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर

A. औरंगा निर्माण प्रमण्डल, पाँकी

i) उत्तर कोयल बाँधी मुख्य नहर का कार्य

भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तर कोयल परियोजना, मेदिनीनगर द्वारा बतलाया गया कि बाँधी मुख्य नहर के 1.25 चेन में भू-अर्जन का कार्य उपायुक्त गढ़वा के किसी अधीनस्थ कार्यालय में मामला लंबित रहने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बैठक में हीं उपायुक्त, गढ़वा से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित कर मामले का निष्पादन यथाशीघ्र कराने का अनुरोध किया गया तथा भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे उपायुक्त गढ़वा से इस हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करें।

उत्तर कोयल बाँधी मुख्य नहर से प्रस्तावित कांडी वितरणी का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु निधि उपलब्ध करा दी गयी है। मुख्य अभियंता द्वारा बतलाया गया कि इस हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

निर्देश :– (i) भू-अर्जन का कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा किया जाये।

(कार्वाई – भू-अर्जन पदाधिकारी)

(ii) कांडी वितरणी का अनुसंधान प्रतिवेदन दो माह में तैयार कर लिया जाये।

(कार्वाई – कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता)

ii) उत्तर कोयल दाँधी मुख्य नहर, मोहम्मदगंज बराज एवं उत्तर कोयल बाँध का कार्य

विगत बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि उत्तर कोयल परियोजना में सभी एकरारनामा के अन्तर्गत कार्यों पर एक माह के अन्दर एक प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ वे उपस्थापित करेंगे कि इन एकरारनामों के कार्यों पर आगे किस तरह की कार्वाई अपेक्षित है। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि यह कार्य अभी तक नहीं हो सका है।

निर्देश :– 10 मार्च 2012 तक वांछित प्रतिवेदन हर हालत में विभाग को प्राप्त कराया जाये।

(कार्वाई – कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता)

iii) अमानत बराज योजना

इस योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य एवं एकमात्र मुख्य नहर के शून्य से 42.00 आर०डी० तक के कार्यों के लिये विभागीय पत्रांक 138 दिनांक 06.02.2012 द्वारा रु० 328.34 लाख का आवंटन निर्गत हैं जबकि मुख्य नहर के 42.00 से 136.50 आर०डी० तक के कार्यों (वनभूमि को छोड़कर) के लिये विभागीय पत्रांक 142 दिनांक 13.02.2012 द्वारा रु० 1063.72 लाख का आवंटन निर्गत है। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आयी कि मुख्य नहर के शून्य से 42.00 आर०डी० के बीच के हिस्से में 4.00 आर०डी० की लंबाई में भू-अर्जन नहीं हो पाया है एवं इस लिये इस हेतु रु० 110.00 लाख की राशि प्रत्यार्पित कर दी गयी है। अभी तक प्रदत्त आवंटन में से किसी कार्य का भुगतान नहीं हो पाया है।

निर्देश :–

- i) भू-अर्जन कार्य को जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाये ताकि अवशेष चार आर०डी० में नहर का कार्य पूरा कर खरीफ 2012 में नहर में 42.00 आर०डी० तक पानी पहुँचाया जा सके।
- ii) बराज के गेट, कन्ट्रोल रूम एवं विद्युत कनेक्शन, जेनरेटर कनेक्शन का कार्य शत प्रतिशत पूरा कर बराज को कमिशनिंग हेतु तैयार रखा जाये। यह कार्य मार्च 2012 तक अवश्य सम्पन्न हो जाना चाहिये।

PHM

- iii) मुख्य नहर के 42.00 से 136.50 आर०डी० के बीच के कार्यों (वनभूमि को छोड़कर) को मार्च 2012 तक पूरा कर लिया जाये।
- iv) वन भूमि अपयोजन हेतु कार्यपालक अभियंता अथवा उसके उपर के अधिकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पलामू से सीधे सम्पर्क स्थापित करें एवं सात दिनों के अन्दर विभाग को सूचित करें कि वन भूमि अपयोजन का कार्य की क्या स्थिति है एवं प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है।
- v) बराज के गाइड बन्ड के लिये भू-अर्जन हेतु रु० 50.00 लाख का कर्णाकित आवंटन निर्गत है। इस राशि को भू-अर्जन पदाधिकारी को हस्तान्तरित करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई दो दिनों में की जाये।

(कार्रवाई— कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, एवं मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर)

B. रूपांकण प्रमण्डल सं०-१, मेदिनीनगर

बटाने जलाशय योजना

योजना के अन्तर्गत बराज एवं डैम के गेटों के कार्य हेतु एकरारनामा 15 अप्रैल 2011 को हुआ है एवं कार्य हेतु एक वर्ष का समय निर्धारित है पर अभी तक बराज के गेटों के रूपांकण का मामला मुख्य अभियंता के अनुसार समाप्त नहीं हुआ है जबकि डैम के गेटों का कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। डैम के गेटों का कार्य विस्थापितों का भुगतान कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण नहीं प्रारम्भ हो पा रहा है, ऐसा क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया। मुख्य अभियंता द्वारा बतलाया गया कि दाँयी नहर के प्रारम्भ में चट्टान काटने का कार्य चल रहा है। दांये मुख्य नहर में 424.00 आर०डी० पर सी०डी० का कार्य चल रहा है एवं मार्च 2012 तक पूरा हो जायेगा।

निदेश :-

- i) मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची तथा बटाने बराज के कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता, गेट रूपांकण का कार्य 10 दिनों के अन्दर समाप्त करें।
- ii) सभी विस्थापितों की बकाया देय राशि का भुगतान 20 दिनों के अन्दर पूरा किया जाये।
- iii) यदि विस्थापितों के भुगतान हेतु और राशि आवश्यक हो तो आकलन कर आवंटन की माँग एक सप्ताह के अन्तर्गत की जाये।
- iv) दाँयी मुख्य नहर के झारखण्ड अवस्थित सभी कार्यों को मार्च 2012 तक अवश्य पूरा कर लिया जाये।

3. जल पथ अंचल, गढ़वा

A. जल पथ प्रमण्डल, गढ़वा

- i) गढ़वा शहर के टंडवा मुहल्ले के पास दानरो नदी के दायें तट पर कटाव निरोधक कार्य

कार्य अभी भी पूरा नहीं है।

निदेश :- नियम विरुद्ध चार वर्षों तक कार्य कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाये।

(कार्रवाई— मुख्य अभियंता (मो०), जल संसाधन विभाग, राँची)

- ii) दो अदद अग्रमेटेशन कार्य

इन दोनों कार्यों (केहुनियाँ नाला एवं धनकुद्दी नाला) में भू-अर्जन कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा प्रस्ताव उपस्थापित कर दिया गया है पर उन्हें उनके उच्चतर पदाधिकारी से स्वीकृति नहीं मिल सकी है।

धनकुद्दी नाला हेतु इस वर्ष रु० 100.00 लाख अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता है जिस हेतु कार्रवाई की गयी है।

निदेश :-

- i) भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन कार्य एक महीने में पूरा कराने का निर्देश दिया गया।

(कार्रवाई— भू-अर्जन पदाधिकारी)

१३

iii) अन्नराज जलाशय योजना

गेट मरम्मति कार्य हेतु प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हो गया है।

निदेश :— गेट मरम्मति प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई की जाये।

(कार्रवाई— मुख्य अभियंता (मो०), जल संसाधन विभाग, राँची ।)

iv) चटनियां घाट जलाशय योजना

कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, लातेहार द्वारा बतलाया गया कि अभी जलाशय से पानी छोड़ा जा रहा है अतः अप्रैल माह में गेट को पूर्व संवेदक द्वारा ही ठीक करा लिया जायेगा।

B. अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा

i) कनहर बराज योजना

योजना का पी०एफ०आर० केन्द्रीय जल आयोग के Planning & Investigation Division, Gurgaon द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में PIL सं०—4663/2009 पर अगली सुनवाई 27 मार्च 2012 को होनी है जिसके पूर्व पी०एफ०आर० तैयार हो जाना चाहिये।

संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि केन्द्रीय जल आयोग की टीम द्वारा अभी चार दिन पहले स्थल एवं क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है एवं उन्हें इस हेतु अवगत करा दिया गया है।

बैठक में मोनिटरिंग द्वारा जानकारी दी गयी कि इस संबंध में मुख्य अभियंता (यमुना बेसिन संगठन) केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से वार्ता किया गया है। उनका कहना था कि PFR कार्य से सम्बन्धित Executive Engineer, Planning & Investigation Division, CWC, Gurgaon एवं Siperintending Engineer, Planning & Investigation Circle, Central Water Commission, Gurgaon से आपलोग हमेशा सम्पर्क बनाये रखें।

निदेश :— प्रत्येक सोमवार को क्षेत्रीय पदाधिकारी, CWC के उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित करेंगे एवं यह assure करते रहेंगे कि PFR तैयार करने का कार्य सही गति से चल रहा है।

(कार्रवाई— कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता)

अन्यान्य :— बैठक में एक निर्देश यह भी प्राप्त हुआ कि विभाग के प्रधान सचिव की ओर से एक पत्र उपायुक्त, पलामू को लिखा जाये कि जल संसाधन विभाग की योजनाओं के लिये भू-अर्जन कार्य तेज किया जाये।

(कार्रवाई— मुख्य अभियंता (मो०), जल संसाधन विभाग, राँची)

इसके बाद मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर से वर्ष 2012—13 के प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा हुयी।

इस कार्यवाही पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(बी.सी. निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :—

/राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :— संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) एवं सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (e-mail से)

ह०/-
(बी.सी. निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :-

/ राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(बी.सी. निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :-

/ राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव/आप्त सचिव अभियंता प्रमुख-1/2 एवं विशेष सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।।

ह०/-
(बी.सी. निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :-

326

/ राँची, दिनांक 12.03.2012

प्रतिलिपि :- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/03/2012
(बी.सी. निगम)
विशेष सचिव